न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 2013/00227 (149/2013)

जसमेल कौर पुत्री हजाराराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। ––अपीलांट्

बनाम

1. राजकुमार पुत्र हजाराराम } जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी
2. हजारा राम पुत्र मलुका राम } जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेन्ट्स

विरूद्ध आदेश दिनांक 23.01.2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 38/2012

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय:– दिनांक:–29.05.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 प्रतिवादी के विरूद्ध उद्घोषणा का एक वाद प्रस्तुत किया। वाद पत्र में कथन किया कि चक 4 सीडीआर के खाता संख्या 158/156 में 1.518 है. भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज है जो घरेलू बंटवारा में वादी को प्राप्त हुई है। इसलिए अनुतोष चाहा कि उपरोक्त भूमि का वादी खातेदार है एवं प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जावे। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय से दावा डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है।
2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की पुत्री व 1 की बहिन है। प्रश्नगत भूमि के पैतृक नहीं होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलाण्टा जो थी हजारा की पुत्री होने के कारण प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा रखती है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत में राजस्व वाद में मुझ अपीलाट को बिना पक्षकार बनाये मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को अकेले पक्षकार बनाकर विधि विरूद्ध तरीके से राजीनामा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा है। तहसीलदार राजस्व एक लैण्ड होल्डर है जिसे पक्षकार बनाना आवश्यक था उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी वह एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। उसे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था इसलिए डिले कम्डोन की जाकर बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपील के साथ प्रस्तुत धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील में अंकित तथ्यों एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा –5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. अपीलार्थीया ने स्वयं को रेस्पोडेण्ट सं0 2 की पुत्री बताया हैं इस कथन के समर्थन में अपीलार्थीया ने अपील में नोटेरी से अटेस्टेड राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि हजारासिंह के नाम से दर्ज है अपीलार्थीया हजारासिह की पुत्री होने के कारण वह एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलार्थीया का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 4 सीडीआर संवत 2068 से 2071 के अनुसार प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 हजारासिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रस्तुत राशन कार्ड की प्रति के अनुसार अपीलार्थीया हजारासिह की पुत्री है, परन्तु विचारण न्यायालय ने उसे बिना पक्षकार बनाये रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने आपस मे राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है उस राजीनामा पर भी अपीलार्थीया के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा राजीनामा के आधार पर डिक्री किया है। किन्तु कोई कानूनी आधार अंकित नहीं किया है। अपीलाण्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें उसका जन्म से हक व हिस्सा है। उक्त बिन्दू का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई की जाकर ही किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2012 अपास्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाई जाती है कि वह पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर प्रकरण का पुनः निस्तारण करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29/5/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official